SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

जीएसटी : नए युग का आरंभ

मधुकर श्याम शुक्ला, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
राम शंकर पांडे, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
एस एस पी जी कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors

मधुकर श्याम शुक्ला, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
राम शंकर पांडे, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
एस एस पी जी कॉलेज, शाहजहांपुर,
उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 26/03/2022
Revised on : -----
Accepted on : 02/04/2022
Plagiarism : 00% on 26/03/2022

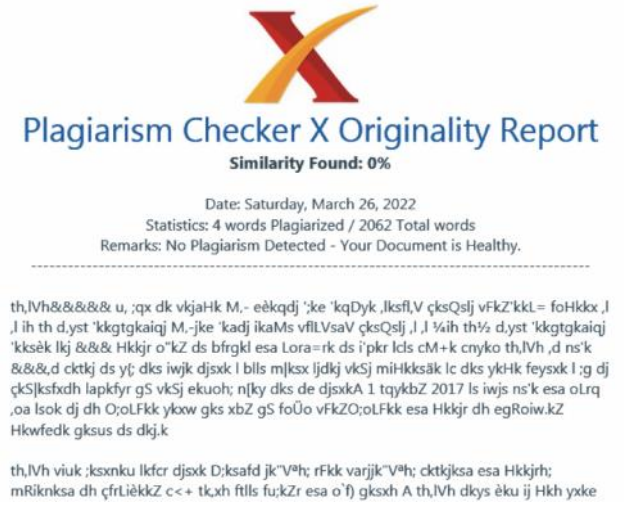
Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 0%

Date: Saturday, March 26, 2022
Statistics: 4 words Plagiarized / 2062 Total words
Remarks: No Plagiarism Detected - Your Document is Healthy.

th,lVh&&&&& u, ;qx dk vkjaHk M.- eèkqdj ';ke 'kqDyk ,lksfl,V çksQslj vFkZ'kkL= foHkkx ,l ,l ih th d,yst 'kkgtgkaiqj M.-jke 'kadj ikaMs vflLVsaV çksQslj ,l ,l ¼ih th½ d,yst 'kkgtgkaiqj 'kksèk lkj &&& Hkkjr o"kZ ds bfrgkl esa Lora=rk ds i'pkr lds cM+k cnyko th,lVh ,d ns'k &&&,d cktkj ds y{; dks iwjk djsxk l blls m|ksx ljdkj vkSj miHkksäk lc dks ykHk feysxk l ;g dj çkS|ksfxdh lapkfyr gS vkSj ekuoh; n[ky dks de djsxkA 1 tqykbZ 2017 ls iwjs ns'k esa oLrq ,oa lsok dj dh O;oLFkk ykxw gks xbZ gS foÜo vFkZO;oLFkk esa Hkkjr dh egRoiw.kZ Hkwfedk gksus ds dkj.k

th,lVh viuk ;ksxnku lkfcr djsxk D;ksafd jk"Vªh; rFkk varjjk"Vªh; cktkjksa esa Hkkjrh; mRiknksa dh çfrLièkkZ c<+ tk,xh ftlls fu;kZr esa o`f) gksxh A th,lVh dkys èku ij Hkh yxke

शोध सार

भारत वर्ष के इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी एक देश, एक बाजार के लक्ष्य को पूरा करेगा। इससे उद्योग सरकार और उपभोक्ता सब को लाभ मिलेगा। यह कर प्रौद्योगिकी संचालित है और मानवीय दखल को कम करेगा। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू हो गई है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण जीएसटी अपना योगदान साबित करेगा क्योंकि राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। जीएसटी काले धन पर भी लगाम लगने में लगाने में सफल होगा क्योंकि एक व्यापारी को जीएसटीएन संख्या लेनी होगी। इसके जरिए छोटी कंपनियां भी कर के दायरे में आ जाएंगे। नए वस्तु एवं सेवा कर में 17 केंद्रीय और राज्य कर 22 प्रकार के उपकर शामिल हो जाएंगे। विभिन्न राज्यों के मूल्य एवं वृद्धि कर (वैट) में 97 प्रकार के रिटर्न होते थे जिन्हें भरने के लिए 28 ब्योरो और 317 अन्य अनुबंधों का आश्रय लेना पड़ता था तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क के लिए 13 रिटर्न फार्म को भरने के साथ ब्यौरा भी देना होता था, यहां तक कि चालान भी 12 तरह के होते थे। वर्तमान में जीएसटी के बाद पूरे देश में समान रूप से केवल एक चालान के साथ 12 फार्म भरने होंगे। जीएसटी का लक्ष्य करो की भुगतान प्रक्रिया को सरल सहज और सुविधाजनक बनाना है। यह प्रणाली अद्वितीय है क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य समान आई टी अवसंरचना साझा करने और करदाताओं के लिए एक समान इंटरफ़ेस स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

स्वतंत्रता, जीएसटी, अर्थव्यवस्था, निर्यात, मूल्य एवं वृद्धि कर, भुगतान प्रणाली.

प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा के लेन–देन पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है और इस लेनदेन से होने वाले लाभो पर प्रत्यक्ष कर जैसे कारपोरेट कर या आयकर लगाया जाता है। करो का प्रभाव अलग–अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, इसी प्रकार की लेनदेन की प्रक्रिया को जब अधिकारियों से छुपाया जाता है तो काले धन की उत्पत्ति होती है जिससे सरकार को नुकसान होता है। इस पद्धति से बचने के लिए सरकार ने देश में एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली जीएसटी की व्यवस्था की है जिसमें पंजीकरण रिटर्न और भुगतान संबंधी सभी सेवाएं ऑनलाइन होगी, जिसका प्रयोग बहुत सरल और पारदर्शी रूप से करेंगे। इससे देश में भ्रष्टाचार की कमी होगी, सरकार उपभोक्ता और उद्योग उन्नति करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। जीएसटी से अर्थव्यवस्था विश्व की प्रथम अवस्था बनने की ओर अग्रसर होगी।

अध्ययन के उद्देश्य

देश में करो के संबंध में अनेक विसंगतियां थी उनको कैसे दूर किया जाएगा। इनकी अध्ययन के उद्देश्य होंगे:

1. जीएसटी के अंतर्गत कितनी बड़ी कंपनियां कितनी छोटी कंपनियों ने GSTN संख्या प्राप्त की है।
2. जीएसटी की पांच स्लैब हैं, इनसे भारतीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है।
3. जीएसटी अधिकारियों के द्वारा रिटर्न भरने से उत्पन्न समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा रहा है, इसका पता लगाया जाना।
4. केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति दी जा रही है अथवा नहीं, इसका पता लगाना।
5. जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन करना ।

अध्ययन पद्धति

''जीएसटी नए युग का आरंभ'' विषय पर किए जाने वाले अध्ययन में प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक स्रोत

1. संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत छोटे–बड़े उद्योगों के साथ व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना।
2. वाणिज्य कर कार्यालय वित्त मंत्रालय तथा नियोक्ता के बीच बातचीत।

द्वितीयक स्रोत

1. वाणिज्य मंत्रालय में पंजीकरण छोटे एवं बड़े उद्योगों का अध्ययन करना।
2. कर स्लैब से होने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. समाचार पत्रों के माध्यम से जीएसटी का जनता पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करना।
4. जीएसटी कार्यप्रणाली के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके लाभ हानि का अध्ययन करना।

भारत में जीएसटी की यात्रा

फ्रांस 1954 में जीएसटी प्रस्तुत करने वाला पहला देश हैं। इस समय लगभग 160 देशों में इसे लागू किया जा चुका है। अपने देश में जीएसटी प्रस्तुत करने की यात्रा काफी लंबी है और यह कई राजनीतिक नेताओं आर्थिक चिंतकों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के अथक प्रयासों का परिणाम है। जीएसटी के बारे में प्रथम विचार 2002 में से अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में हुआ, जिसमें असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक

कमेटी का गठन किया गया था जिसने जीएसटी को एक अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रस्ताव दिया, परंतु राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका। इसे लागू करने के लिए संविधान में 122वा संशोधन किया गया। संविधान विधेयक 2014 को 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में तथा मई 2015 में लोकसभा के द्वारा पारित किया गया। इसके पश्चात् 14 मई 2015 को राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया। इस समिति ने 22 जुलाई 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1 अगस्त 2016 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक 3 अगस्त 2016 को संविधान अधिनियम 2016 के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस संविधानिक संशोधन ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का रास्ता साफ कर दिया तथा 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया।

जीएसटी के लाभ

1. उत्पादन की बजाय अब उपभोग पर टैक्स लगेगा।
2. इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी होगी।
3. टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम।
4. भ्रष्टाचार में कमी होगी।
5. देश की जीडीपी में वृद्धि होगी ।
6. रोजगार सृजन में सहायता।
7. निवेश प्रोत्साहन।
8. एक साझा बाजार एवं कम अनुपालन लागत।
9. भंडार लागत में कमी होगी।
10. मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन।

जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं

जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. जीएसटी का प्रयोग जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में होगा।
2. वस्तुओं की बिक्री पर कर की वर्तमान अवधारणा के विपरीत, जीएसटी वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है ।
3. यह स्रोत आधारित कराधान के विपरीत, उद्देश्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर है।
4. जीएसटी परिषद् के तहत केंद्र और राज्य द्वारा आपसी रुप से सहमति दर पर सीजीएसटी/एसजीएसटी /यू टीजीएसटी/आई जी एस टी की वसूली की जाती है।
5. एसईजेड को निर्यात और आपूर्ति शून्य दर पर है।
6. विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को अलग–अलग कट ऑफ फॉर विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करनी होगी।
7. मौजूदा करदाताओं को बिना किसी परेशानी के जीएसटी के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तनीय प्रावधान किए गए हैं।
8. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए करों के स्व मूल्यांकन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
9. सभी वस्तु अथवा सेवाओं के लिए करों के चार स्तर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत, बहुमूल्य धातु की दर 3 प्रतिशत की दर से कर के अधीन होगी। जबकि अपरिस्कृत बहुमूल्य रत्नों पर 0.2–5 प्रतिशत से कर लगता है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी जाती है।
10. मानव उपयोगी वस्तु अल्कोहल जो संवैधानिक रूप से जीएसटी के बाहर हैं को छोड़कर जीएसटी में सभी

प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा पांच पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल पेट्रोल डीजल एटीएफ और प्राकृतिक गैस) जीएसटी से बाहर है परंतु जीएसटीसी की सिफारिश पर जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है ।

जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न दर

जीएसटी की पांच स्लैब है जिनके अन्तर्गत अनेक प्रकार की वस्तु आती हैं। जिनका विवरण निम्न है:

1. **जीएसटी की शून्य दरः** इसके अंतर्गत खुला अनाज, ताजी सब्जिया, बिना मार्का आटा, बिना मार्का मैदा, बिना मार्का बेसन, गुड, दूध, अंडे, दही, लस्सी, खुला पनीर, प्राकृतिक शहद, नमक, काजल, फुलवारी, झाड़ू, बच्चों की ड्राइंग और रंग की किताबें, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं ।
2. **जीएसटी की 5 प्रतिशतः** इसके अंतर्गत चीनी, चाय पत्ती, काफी के भुने दाने, दूध पाउडर, शिशु के लिए दूध का आहार, पैक्ड पनीर, काजू, किसमिस, पीडीएस केरोसिन, घरेलू एलपीजी, जूते–चप्पल, अगरबत्ती आदि सेवा आती हैं।
3. **जीएसटी की 12 प्रतिशतः** इसके अंतर्गत मक्खन, घी, बादाम, फ्रूट, जूस, सब्जियाँ, फल, नट्स एवं पौधों के अन्य भागों से निर्मित खाद्य पदार्थ जिसमें अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम और जेली शामिल हैं।
4. **जीएसटी की 18 प्रतिशतः** इसके अंतर्गत केश तेल, टूथपेस्ट, साबुन, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, कंप्यूटर, प्रिंटर शामिल है।
5. **जीएसटी टैक्स रेट 28 प्रतिशतः** इसके अंतर्गत चॉकलेट के साथ लेपित वेफल और बेफर्श सन स्कीन रंग सेरेमिक टाइल्स, वॉलपेपर, बर्तन साफ करने वाला सामान, ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए विमान, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट–बीड़ी, सीमेंट, वेल्डिंग मशीन, सोडा वाटर आदि आते हैं।

जीएसटी के आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2018 के शुरुआती 9 महीनो मे वसूली 7.4 लाख रही। 2019 –20 में जीएसटी वसूली 11.93 करोड़ रुपए की थी जो 2018–19 की वसूली पर 2.3 प्रतिशत की वृद्धि है। जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत के साथ जीएसटी उपलब्धता 0.3 प्रतिशत आती है। 2019–20 में जीएसटी जीडीपी अनुपात 5.9 प्रतिशत रहा। केंद्रीय बजट 2021–22 के लिए इसमें आय 63000 करोड़ रुपए हैं। 2020–21 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी वसूली 59 प्रतिशत कम रही। मार्च 2020 में लॉकडाउन की मंदी के कारण जीएसटी पर बहुत बुरा असर पड़ा, अप्रैल 2020 में जीएसटी वसूली केवल 32,294 करोड़ रुपया ही रहे। इसके बाद सरकार ने आर्थिक क्रियाओं पर जोर दिया जिससे जून 2020 में जीएसटी वसूली 90,917 करोड़ रुपया तथा दिसंबर में 11,5474 करोड़ रुपए रही जो दिसंबर 2019 की तुलना में अधिक रही और पहली बार फरबरी 2021 में एक लाख करोड़ पार की है। नवंबर 2021 में जीएसटी का संग्रह 131,526 करोड़ रुपए आया है, इसमें सीजीएसटी का हिस्सा 23,978 करोड़ रुपए आए वही एसजीएसटी का हिस्सा 31127 करोड़ रुपया है। आईजीएसटी का हिस्सा 66815 करोड़ रुपया है जिसमें वस्तुओं के आयात पर मिले 32,165 करोड रुपए की रकम शामिल है, इसके अलावा सेस से मिली 9606 करोड़ की रकम 20 में शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 30 जनवरी 2022 तक 1.05 करोड़ जीएसटीआर– 3B रिटर्न फाइनल हुए हैं। सरकार ने सीजीएसटी के 29726 करोड़ रुपए तथा एसजीएसटी के 24180 करोड रुपए सेटल किए हैं। सेटलमेंट के बाद जनवरी 22 में सरकार को 71900 रुपए सीजीएसटी से और 73696 रुपए का राजस्व एसजीएसटी से प्राप्त हुआ हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 18000 रुपए हजार करोड़ की क्षतिपूर्ति राज्यों को जारी कर दी गई है। जनवरी माह में माल के आयात से राजस्व 26 फ़ीसदी और सेवाओं के आयात समेत घरेलू लेनदेन से राजस्व 12 फ़ीसदी बढ़ा है। फरवरी 2022 तक 133026 करोड रुपए का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया जोकि फरवरी 2021 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। सीजीएसटी कलेक्शन 24435 रुपए करोड़ रुपए एसजीएसटी कलेक्शन 30779 रुपए करोड़ रुपए आईजीएसटी 67471 करोड़ रुपए सेस 10340 रुपए रहा है।

जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर

इसमें निम्न करो को शामिल किया गया है:

(A) **केंद्रीय करः**

1. केंद्रीय उत्पाद शुल्क।
2. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क।
3. सेवा कर।
4. केंद्रीय बिक्री कर वस्तुएं विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क।
5. अतिरिक्त सीमा शुल्क।

(B) **राज्य करः**

1. राज्य मूल्यवर्धन कर (वैट)।
2. मनोरंजन कर।
3. चुंगी और प्रवेश कर।
4. क्रय कर।
5. विलासिता कर।
6. लॉटरी एवं जूंए पर कर।

(C) **जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए करः**

1. मानवीय उपयोग के लिए नशीली दवाओं पर कर।
2. सीमा शुल्क।
3. पांच पेट्रोलियम उत्पाद आपरिष्कृत, पैट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर एस्प्रिट, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन।

निष्कर्ष

भारत वर्ष में जीएसटी की व्यवस्था लागू हो चुकी है, इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार कहा जा सकता हैं। इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि उपभोगता के नजरिया से कुछ भविष्य के गर्भ में है। उनके मन में प्रश्न है कि जीएसटी में से किस प्रकार मूल्यों में बदलाव होगा, क्योंकि इससे कीमत कम करने वाले भी और कीमत बढ़ाए जाने वाले भी कर शामिल है। भविष्य में इसका क्या असर होगा इन मुश्किलों के कारण जीएसटी के आलोचना करना या उसे खारिज करना कहीं से भी समझदारी नहीं कहलाएगी कुछ समय की मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे राजस्व बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बनेगी।

संदर्भ सूची

1. लाल एस एन, *भारतीय अर्थव्यवस्था एक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण*।
2. त्यागी एवं सिंह *लोक वित्त।*
3. लक्ष्मीकांत, *भारत की राजव्यवस्था।*
4. चौहान विनीत, पुष्पकांत, *माल एवं सेवा कर।*
5. अनूप मोदी, गुप्ता महेश, *अप्रत्यक्ष करः वस्तु एवं सेवा कर।*

6. Sharma Sanjeet, Anand Shaileja, *Good and Services Tex.*
7. मेहरोत्रा एचसी, अग्रवाल बी पी, *माल एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क।*
8. जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर 2020. www.bhaskar.com
9. वित्त मंत्री का तोहफा, हिंदी न्यूज़ हिंदी समाचार।
10. योजना मासिक पत्रिका, अगस्त 2017।

****